299

[2020] 5 एस. सी. आर. 299

ए.

एरुधया प्रिया

बनाम

स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। (2020 की सिविल अपील संख्या 2811-2812)

बी.

27 जुलाई, 2020

[संजय किशन कौल**,** अजय रस्तोगी और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे।**]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 -धारा 166-तमिलनाडु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, 1989 -आर. 3 (1)-अपीलार्थी प्रत्यर्थी-राज्य निगम के स्वामित्व वाली बस में यात्रा कर रहा था-बस एक खड़े लॉरी से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी सहित कई यात्रियों को चोटें आईं-अपीलार्थी को गंभीर चोटें आईं-उसे पूरे शरीर की 31.1% की अक्षमता का सामना करना पड़ा-अपीलार्थी ने यू/एस के तहत दावा याचिका दायर की।166 एम. वी. अधिनियम आर/डब्ल्यू।3(1) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष 1989 के नियमों के अनुसार-एम. ए. सी. टी. ने पाया कि दुर्घटना बस चालक के जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई-एम. ए. सी. टी. ने कमाई करने की शक्ति के नुकसान की गणना करने के लिए 17 का गुणक लागू किया-एम. ए. सी. टी. द्वारा मुआवजे की कुल मात्रा <आई. डी. 1,24,288/- थी, साथ ही प्रत्यर्थी राज्य निगम द्वारा देय ब्याज 7.5% प्रति वर्ष था-उच्च न्यायालय ने मुआवजे को घटाकर <आई. डी. 2,00,000/- कर दिया-मुख्य रूप से इस आधार पर कि कमाई करने की शक्ति के नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के लिए गुणक विधि गलत तरीके से लागू की गई थी-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने मुआवजे में वृद्धि का दावा किया। 41, 69, 831/- विभिन्न शीर्षों के तहत संशोधित ब्याज दर @12% प्रति वर्ष का दावा करने के साथ-आयोजितःयह तय किया गया है कि 15-25 वर्ष के आयु वर्ग में, गुणक को अक्षमता की सीमा में फैक्टरिंग के साथ '18' होना चाहिए और यही तत्काल मामले में लागू होगा क्योंकि अपीलार्थी की आयु 23 वर्ष थी-इसके अलावा, गुणक विधि को लागू करते समय, जीवन और कैरियर में उन्नति पर भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए-आधार पर उसी की मात्रा

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड मामले में निर्णय पर विचार करते हुए

अपीलार्थी की आयु, वर्तमान मामले में वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत होगी-अपीलार्थी ने न्यायिक घोषणाओं को देखते हुए सुनवाई के दौरान ब्याज दर को घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया था-इस प्रकार, अपीलार्थी का अधिकार होगा

एच.

299 ए.

300 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

मुआवजे के रूप में रु। 41,69,831-आवेदन की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ दावा किया गया है।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** तीन पहलुओं की जांच की जानी चाहिएः**'18'** के बजाय **'17'** के गुणक का अनुप्रयोग**;2.** अपीलार्थी की आयु के आधार पर गुणक की उपरोक्त वृद्धि की मांग की जाती है क्योंकि निर्णय के आधार पर उसकी आयु **23** वर्ष है।

बी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और

अन्य।उक्त निर्णय के पैरा **42** में**,** संविधान पीठ ने सरला वर्मा **(**श्रीमती**)** के मामले में तालिका में उल्लिखित गुणक विधि का उपयोग करने की पुष्टि की और

सी.

अन्य।**v.** दिल्ली परिवहन निगम और दूसरा।आयु में

15-25 वर्षों के समूह में**,** अक्षमता की सीमा में गुणन के साथ गुणक **'18'** होना चाहिए। प्रत्यर्थी राज्य निगम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त स्थिति वास्तव में विवादित नहीं है और इस प्रकार**,** यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलार्थी के मामले में लागू किया जाने वाला गुणक **'18'** होना चाहिए न कि **'17'**।**[**पैरा **7 (**ए**)] [303-**जी**-**एच**; 304-**ए**-**सी**]**

डी.

31.1% की स्थायी अक्षमता के साथ अपीलार्थी की अर्जित करने की क्षमता का नुकसान

ई.

3. वर्तमान मामले की तथ्यात्मक रूपरेखा में**,** यदि विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच की जाती है**,** तो यह अगस्त **2011** से जनवरी **2013** तक डेढ़ साल की अवधि में विभिन्न दिनों के लिए **8** अवसरों पर भर्ती**/**अस्पताल में भर्ती होने को दर्शाता है। **[**पैरा **7 (**बी**)] [305-**ए**-**बी**]**

एफ.

4.इस न्यायालय ने अपीलार्थी की वर्तमान भौतिक स्थिति को दर्शाने वाली याचिका के साथ संलग्न तस्वीरों को भी देखा है**,** हालांकि प्रत्यर्थी राज्य निगम द्वारा यह कहा गया है कि यह निचली विचारण न्यायालय में रिकॉर्ड में नहीं था।चाहे जो भी हो**,** उपचार के बाद भी यह स्थिति है और चोटों की प्रकृति ही उनकी सीमा को दर्शाती है।इसके अलावा**,** संदीप खानुजा मामले के पैरा **12** में यह राय दी गई है कि गुणक विधि को लागू करते समय**,** जीवन और कैरियर में उन्नति पर भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।**[**पैरा **7 (**बी**)] [305-**डी**-**एफ**]** ए

जी.

एच.

301

एरुधया प्रिया बनाम राज्य प्रेस परिवहन निगम लिमिटेड।

5. इस प्रकार**,** इस न्यायालय का स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अपीलार्थी के विवाद में योग्यता है और भविष्य की संभावनाओं के संबंध में उपरोक्त सिद्धांतों को स्थायी विकलांगता को **31.1%** के रूप में लेने वाले अपीलार्थी के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।के आधार पर उसी की मात्रा निर्धारित करना

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड मामले में निर्णय**,** विशेष रूप से

बी.

पैरा **59.3,** अपीलार्थी की आयु पर विचार करते हुए**,** वर्तमान मामले में वास्तविक वेतन का **50** प्रतिशत होगा।**[**पैरा **7 (**बी**)] [305-**एफ**-**जी**]** तीसरा और अंतिम पहलू **12** प्रतिशत के रूप में दावा की गई ब्याज दर है।

6. उपरोक्त के संबंध में**,** अपीलार्थी ने जगदीश मामले सहित न्यायिक निर्णयों को देखते हुए सुनवाई के दौरान ब्याज दर को घटाकर **9** प्रतिशत कर दिया है।इस पहलू पर**,** एक बार फिर**,**

प्रत्यर्थी द्वारा कोई गंभीर विवाद नहीं उठाया गया था जब दावा इस न्यायालय द्वारा लागू ब्याज दरों के अनुरूप **9** प्रतिशत तक सीमित था।**[**पैरा **7 (**सी**)] [305-**जी**-**एच**; 306-**ए**]**

सी.

डी.

निष्कर्ष

7. इस प्रकार**,** अपीलार्थी एक लाख रुपये के मुआवजे का हकदार होगा। **41,69,831-** आवेदन की तारीख से भुगतान की तारीख तक **9** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ दावा किया गया है।**[**पैरा **8] [307-D-E]**

ई.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी

और अन्य (2017) 16 एस. सी. सी. 680:[2017] 13 एससीआर

100 ; जगदीश बनाम मोहन और अन्य **(2018) 4** एस**.** सी**.** सी**.**

571 :[2018] 3 एस. सी. आर. 20; संदीप खानुजा बनाम अतुल दांडे और एक अन्य (2017) 3 एस. सी. सी. 351-पर भरोसा किया।

एफ.

सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य।v. दिल्ली परिवहन

निगम और एक अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 121:[2009] 5 एस. सी. आर. 1098-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

जी.

[2017] 13 एससीआर **100**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **7**

[2009] 5 एससीआर **1098**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[2018] 3 एससीआर **20**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **7**

एच.

(2017) 3 एस**.** सी**.** सी**. 351**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **7**

302

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 5 एस सी आर।

ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 2811-2812।

2015 के सी. एम. ए. (एम. डी.) सं. 1221 और 2015 के प्रति-आपत्ति (एम. डी.) सं. 37 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

बी.

कुशग्रा बंसल, गौरव गोयल, आशीष चौहान, राजेश कुमार, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

सुश्री M.Karthiga, टी. आर. बी. शिवकुमार, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

संजय किशन कौल**,** जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. 16.08.2011 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलार्थी प्रत्यर्थी राज्य निगम के स्वामित्व वाली बस में चेन्नई से बैंगलोर की यात्रा कर रहा था, जिसका पंजीकरण सं. टीएन-01-एन-7531। भोर लगभग 5.4 बजे, जब बस कोलार बैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा रही थी, वह एक खड़े लॉरी से टकरा गई।टक्कर के परिणामस्वरूप अपीलार्थी सहित कई यात्रियों को चोटें आईं और बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई।अपीलार्थी को आर. एल. जलप्पा रिसर्च एंड मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तामक, कोलार ले जाया गया और आगे का इलाज बैंगलोर के मणिपाल अस्पताल में किया गया, जहाँ वह 8 महीने तक भर्ती रही।अपीलार्थी के हाथों और पैरों में

फ्रैक्चर सहित चोटें गंभीर थीं और उसे पूरे शरीर की 31.1% की अक्षमता का सामना करना पड़ा।

डी.

ई.

3. बस के चालक को आरोपी के रूप में नामित करते हुए जांच के अनुसरण में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।आरोप पत्र दाखिल किया गया।लेकिन जो प्रासंगिक है वह यह है कि अपीलार्थी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ("एम. वी. अधिनियम") की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मदुरै के समक्ष एक दावा याचिका दायर की, जिसे तमिलनाडु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, 1989 के नियम 3 (1) के सहपठित पढ़ा गया और जिसमें दुर्घटना में लगी चोटों के लिए एक करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा किया गया।साक्ष्य का नेतृत्व दोनों पक्षों और एम. ए. सी. टी. ने दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्यों के अवलोकन पर किया, जिसमें स्थूल रेखाचित्र और आरोप पत्र शामिल हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुर्घटना प्रत्यर्थी राज्य निगम के स्वामित्व वाली बस के चालक के लापरवाही से बस चलाने के कारण हुई और इस प्रकार, प्रत्यर्थी को अपीलार्थी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया।ए के संदर्भ में

एफ.

जी.

एच.

303

एरुधया प्रिया बनाम राज्य प्रेस परिवहन निगम लिमिटेड [संजय किशन कौल, जे.] ए.

दिनांकित 20.10.2014 के निर्णय में, MACT ने राय दी कि 31.1% की स्थायी अक्षमता पर विचार किया जाना चाहिए और अर्जित करने की शक्ति के नुकसान की गणना करने के लिए गुणक विधि को लागू करना होगा।चूंकि अपीलार्थी की आयु 23 वर्ष थी, इसलिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपीलार्थी के मासिक वेतन पर 17 का गुणक लागू किया गया था और कमाई करने की शक्ति के नुकसान के लिए मुआवजे की गणना की गई थी। 9,27,424। मुआवजे को अतिरिक्त पोषण, चिकित्सा खर्च, फिजियोथेरेपी, वैवाहिक पहलुओं की हानि, आराम और सुविधाओं की हानि, मानसिक पीड़ा और दर्द और पीड़ा के विभिन्न शीर्षों के तहत भी जिम्मेदार ठहराया गया था।एम. ए. सी. टी. द्वारा मुआवजे की कुल मात्रा रु। 35,24,288- प्रत्यर्थी राज्य निगम द्वारा याचिका की तारीख से लागत के साथ वसूली की तारीख तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ देय।

बी.

सी.

4. प्रत्यर्थी राज्य निगम ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की और अपीलार्थी ने परस्पर आपत्तियां दायर कीं।उन दोनों का फैसला उच्च न्यायालय के दिनांक 27.10.2017 के विवादित फैसले द्वारा एक सामान्य आदेश द्वारा किया गया था।उच्च न्यायालय ने बस चालक की लापरवाही के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए मुआवजे को घटाकर एक लाख रुपये कर दिया। 25,00,000-मुख्य रूप से इस आधार पर कि अर्जित करने की शक्ति के नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के लिए गुणक विधि को गलत तरीके से लागू किया गया है क्योंकि यह रिकॉर्ड पर नहीं आया था कि अपीलार्थी को हुई चोटों का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में उसकी अर्जित करने की क्षमता पर कैसे प्रभाव पड़ेगा।ब्याज दर कायम रही।

डी.

ई.

5. अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष दावा किया है कि वह एम. ए. सी. टी. द्वारा दिए गए मुआवजे से भी अधिक मुआवजे की वृद्धि की हकदार है और उसने मुआवजे की राशि को रु. 41,69,831-प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से संशोधित ब्याज दर का दावा करने के साथ विभिन्न शीर्षों के तहत।

एफ.

6. हमने पक्षों के लिए विद्वान ों की सलाह सुनी।उन्होंने अपने-अपने दावों और उनके खंडन का संक्षिप्त सारांश भी दायर किया है, जिसमें अपीलार्थी ने उन सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया है जो उसके मामले में लागू हो सकते हैं, कानून अब इसी तरह के मामलों में अच्छी तरह से निपट गया है।

जी.

7. तीन पहलू हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए।

हमारे द्वाराः

(क) '18' के स्थान पर '17' के गुणक का अनुप्रयोग;

अपीलार्थी की आयु के आधार पर गुणक की उपरोक्त वृद्धि की मांग की जाती है क्योंकि 23 वर्ष राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है।

एच.

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य 1.पैरा में

42 उक्त निर्णय के अनुसार, संविधान पीठ ने मामले में तालिका में उल्लिखित गुणक विधि के उपयोग की प्रभावी रूप से पुष्टि की

सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य।बनाम दिल्ली परिवहन निगम

और एक और।2. 15-25 वर्ष के आयु वर्ग में, अक्षमता की सीमा को ध्यान में रखते हुए गुणक '18' होना चाहिए।

बी.

प्रत्यर्थी राज्य निगम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त स्थिति वास्तव में विवादित नहीं है और इस प्रकार, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलार्थी के मामले में लागू किया जाने वाला गुणक '18' होना चाहिए न कि '17'।

(ख) 31.1% की स्थायी अक्षमता के साथ अपीलार्थी की कमाई क्षमता का नुकसान।

सी.

उपरोक्त के संबंध में, अपीलार्थी ने उस पर मुआवजे का दावा किया है जिसे निर्धारित सिद्धांत कहा गया है।

जगदीश बनाम मोहन और अन्य 3 और संदीप खानुजा बनाम अतुल दांडे

& 4 अन्य।हम पैरा 8 में जगदीश मामले (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत को नीचे निकालते हैं:

डी.

"8. देय मुआवजे का आकलन करते समय तय किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।एक पीड़ित जो दुर्घटना के कारण स्थायी या अस्थायी अक्षमता से पीड़ित है, मुआवजे के पुरस्कार का हकदार है।मुआवजे के पुरस्कार में अन्य पहलुओं के अलावा निम्नलिखित पहलू शामिल होने चाहिए:

ई.

(i) दुर्घटना के परिणामस्वरूप दर्द, पीड़ा और आघात;

((ii) भविष्य की आय सहित आय का नुकसान**;**

((ग) पीड़ित की अपनी सुविधाओं के साथ सामान्य जीवन जीने में असमर्थता;

एफ.

((iv) चिकित्सा खर्च, जिसमें वे भी शामिल हैं जो पीड़ित को भविष्य में करने की आवश्यकता हो सकती है; और

(v) जीवन की अपेक्षा की हानि।"

[जोर दिया गया] उपरोक्त सिद्धांत पर पहले के एक फैसले में भी जोर दिया गया है, अर्थात संदीप खानुजा मामले (ऊपर) में यह राय दी गई है कि

जी.

1 (2017) 16 एस. सी. सी. 680 2 (2009) 6 एस. सी. सी. 121 3 (2018) 4 एस. सी. सी. 571 4 (2017) 3 एस. सी. सी. 351 ए

एच.

305

एरुधया प्रिया बनाम राज्य प्रेस परिवहन निगम लिमिटेड [संजय किशन कौल, जे.] ए.

दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप आय के नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के लिए गुणक विधि तार्किक रूप से मजबूत और कानूनी रूप से अच्छी तरह से स्थापित थी।

वर्तमान मामले की तथ्यात्मक रूपरेखा में, यदि हम विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच करते हैं, तो यह अगस्त 2011 से जनवरी 2013 तक डेढ़ साल की अवधि में विभिन्न दिनों के लिए 8 अवसरों पर भर्ती/अस्पताल में भर्ती होने को दर्शाता है।चोटों की प्रकृति निम्नानुसार निर्धारित की गई थी:"चोट की प्रकृतिः

बी.

(i) कंपाउंड फ्रैक्चर शाफ्ट लेफ्ट ह्यूमरस (ii) दोनों हड्डियों का फ्रैक्चर लेफ्ट फोरआर्म (iii) दोनों हड्डियों का कंपाउंड फ्रैक्चर राइट फोरआर्म (iv) फ्रैक्चर 3 वां, 4 वां और 5 वां मेटाकार्पल राइट हैंड (v) सबट्रोकैन्टेरिक फ्रैक्चर राइट फीमर

सी.

(vi) बाईं फीमर का फ्रैक्चर (vii) बाएं पैर की दोनों हड्डियों का फ्रैक्चर।

डी.

हमने अपीलार्थी की वर्तमान भौतिक स्थिति को दर्शाने वाली याचिका के साथ संलग्न तस्वीरों को भी देखा है, हालांकि प्रत्यर्थी राज्य निगम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि यह निचली विचारण न्यायालय में रिकॉर्ड में नहीं था।चाहे जो भी हो, उपचार के बाद भी यह स्थिति है और चोटों की प्रकृति ही उनकी सीमा को दर्शाती है।इसके अलावा, संदीप खानुजा मामले (उपरोक्त) के पैरा 12 में यह राय दी गई है कि गुणक विधि को लागू करते समय, जीवन और कैरियर में उन्नति पर भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस प्रकार, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अपीलार्थी के विवाद में योग्यता है और भविष्य की संभावनाओं के संबंध में उपरोक्त सिद्धांतों को अपीलार्थी द्वारा स्थायी विकलांगता को 31.1% के रूप में लेने के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।उसी की मात्रात्मकता

ई.

एफ.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड मामले (ऊपर) में निर्णय का आधार,

अधिक विशेष रूप से पैरा 59.3, अपीलार्थी की आयु पर विचार करते हुए, वर्तमान मामले में वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत होगा।

जी.

(ग) तीसरा और अंतिम पहलू वह ब्याज दर है जिसका दावा किया गया है -

12%

उपरोक्त के संबंध में, अपीलार्थी ने न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सुनवाई के दौरान ब्याज दर को घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया है।

एच.

306

जगदीश मामले (ऊपर) सहित घोषणाएँ।इस पहलू पर, एक बार फिर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई गंभीर विवाद नहीं उठाया गया था, जब दावा इस न्यायालय द्वारा लागू ब्याज दरों के अनुरूप 9 प्रतिशत तक सीमित था।

निष्कर्ष

बी.

8. उपरोक्त का परिणाम यह है कि तय किए गए सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी द्वारा मुआवजे की गणना, जैसा कि सारांश के पैरा 5 में निर्धारित किया गया है, को निम्नानुसार अपनाना होगाः

सिर	ए. एम. ओ. एन. टी. (आई. एन. आर.)
आय शक्ति का नुकसान (14648 * 12 * 18 *	9,81, 978.76

31.1/100)	
टावर्ड की भविष्य की संभावनाएँ (50 प्रतिशत अतिरिक्त)	4,90,989
चिकित्सा व्यय जिसमें परिवहन शुल्क, पोषण शुल्क आदि शामिल हैं।	18,46,864
मातृ संबंधी पहलुओं का नुकसान	5,00,000
आराम, सुविधा और मानसिक पीड़ा का नुकसान	1,50,000
दर्द और दर्द	2,00,000
कुल	41,69,831

सी.

डी.

इस प्रकार, अपीलार्थी एक लाख रुपये के मुआवजे का हकदार होगा। 41,69,831-आवेदन की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ दावा किया गया है।

ई.

9. तदनुसार, अपीलों को पूरे खर्च के साथ अनुमति दी जाती है।10. शेष राशि प्रत्यर्थी राज्य निगम द्वारा आज से अधिकतम छह सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलार्थी को प्रेषित की जानी चाहिए।

एफ.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

जी.

एच.